संख्या:1/2017/580/94-स्टा0नि0-1 /2017-312(31)/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रबंध निदेशक,
यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0,
अशोक मार्ग, लखनऊ।
(2) **प्रबंध निदेशक,**
यू0पी0 डेस्को,
गोमती नगर, लखनऊ।
(3) **प्रबंध निदेशक,**
निक्सी, योजना भवन,
लखनऊ।
(4) **प्रबंध निदेशक,**
श्रीटान इंण्डिया लि0,
लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक: 31 मार्च, 2017**

विषय:पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग एवं इंण्डेक्सिंग के कार्य के लिए शासन स्तर से बजट आवंटन के क्रम में महानिरीक्षक, निबंधन के पत्र संख्या: 406/001-9-104-05-09, दिनांक 15.03.2017 तथा पत्र संख्या: 1004/शि0का0लख0/2017, दिनांक 22 मार्च, 2017 द्वारा सभी जनपदों को बजट आवंटित करते हुए आई0टी0 विभाग के शासनादेश संख्या: 1710/78-2-2016-135आई.टी.-2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा इस कार्य के लिए नामित संस्थाओं में से जिलाधिकारी के निर्देशन में संस्था को चयनित करते हुए कार्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. तत्क्रम में विभिन्न जनपदों से आपकी संस्था में से किसी एक संस्था को चयनित करते हुए कार्य आदेश उपलब्ध कराया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस प्रक्रिया में सभी जनपदों द्वारा न्यूनतम शासकीय व्यय के साथ बेहतर से बेहतर कार्य कम से कम समय में कराये जाने के उद्देश्य से तथा स्कैनिंग एवं
इण्डेक्सिंग के कार्य में निहित Scope of Work को तथा इण्डेक्सिंग साफ्टवेयर एवं स्कैनिंग कीप्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 28.03.2017 को सायं 04.30 बजे महानिरीक्षक, निबन्धन कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें आपके प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया था। उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:

(1) जनपदों में सभी उप निबंधक कार्यालयों में कार्य को सम्पन्न कराने के लिए एक हाल फर्नीचर सहित सहायक महानिरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय भवन की अनुपलब्धता की दशा में सहायक महानिरीक्षक अपने जिलाधिकारी से सम्पर्क कर अन्य उपयुक्त शासकीय स्थान अथवा उसकी भी अनुपलब्धता की दशा में सुरक्षा आदि अन्य दृष्टिकोण से उपयुक्त किराये पर उपलब्ध प्राइवेटस्थान का चयन करेंगें, जिसका भुगतान संबंधित सहायक महानिरीक्षक द्वारा कार्यालय व्यय से किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत हाल में आवश्यकतानुसार जनरेटर, पेट्रोल/डीजल, ए.सी., कम्प्यूटर तथा स्कैनर आदि की स्थापना कार्यदायी संस्था द्वारा अपने व्यय पर की जाएगी। उप निबंधक कार्यालयों से स्कैनिंग तथा इण्डेक्सिंग किये जाने वाले विलेखों की पुस्तिकाओं को इस हाल तक लाने एवं बाइंडिंग के उपरान्त वापस कार्यालय पहुँचाने का कार्य स्कैनिंग तथा इण्डैक्सिंग करने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा।

(3) विलेखों की पुस्तिकाओं की अनबाइडिंग का कार्य करते हुए उनकी कलर्ड स्कैनिंग का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा तथा स्कैन्ड विलेखों की प्रति से इण्डेक्सिंग का कार्य किया जाएगा। पुस्तिकाओं की अनबाइंडिंग के उपरांत स्कैनिंग हो जाने के बाद बाइंडिंग का कार्य भी संस्था द्वारा सुचारू रूप से किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा स्कैण्ड विलेखों की इंडेक्सिंग के उपरांत उन्हें परीक्षण हेतु एक कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ संबंधित उप निबंधक कार्यालय के एक कर्मी (अथवा जैसा सहायक महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया जाए) अगले कार्य दिवस में परीक्षण करके, यदि कोई त्रुटियां होती हैं तो उन्हें साफ-साफ रजिस्टर में अंकित करेंगे।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य आवंटित करते समय इण्डैक्सिंग के कार्य में कम से कम त्रुटियां होने देने के लिए वेण्डर को समुचित शर्तो आदि से आबद्ध किया जाएगा।

(6) विभागीय कर्मी द्वारा त्रुटियॉं अंकित किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा इन कमियों को दूर किया जाएगा, जिसके उपरांत विभागीय अधिकारी द्वारा इन त्रुटियों के निराकरण का अंतिम रूप से परीक्षण किया जाएगा।

(7) यह इंडेक्सिंग एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर में की जाएगीं, जिसके संबंध में पृथक से जानकारी दी जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) इस प्रकार से पूर्ण रूप से शुद्ध डाटा दो प्रतियों में हार्ड डिस्क में विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे सहायक महानिरीक्षक द्वारा अपने जनपद के एन0आई0सी0 के डी0आई0ओ0 के साथ समन्वय करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।

4- इस कार्य में स्कैनिंग किये जाने वाला कार्य पृष्ठ संख्या के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है, जबकि इंडेक्सिंग का कार्य प्रति विलेख के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है। चूँकि बहुत से कार्यालयों में प्रेरणा साफ्टवेयर 2006 अथवा उसके बाद क्रियान्वित हो गया है, जबकि स्कैनिंग 2012 अथवा उसके बाद ही प्रारंभ हुई है, अतः यह सम्भव है कि बहुत से विलेखों की इंडेक्सिंग हो चुकी हो, किंतु स्कैनिंग न हुई हो। ऐसे विलेखों में पूर्व की इंडेक्सिंग से वर्तमान में केवल स्कैन करते हुए इन विलेखों को सम्बद्ध किया जाना होगा। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को क्रियान्वित करने के लिए नियमानुसार निविदा आमंत्रित करते समय स्कैनिंग एवं इंण्डैक्सिंग के कार्य की पृथक-पृथक दरें प्राप्त की जाएंगी। इन दरों में कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले ए.सी, कम्प्यूटर, फ्यूल, स्कैनर, ट्रांसपोर्टेशन, बाइंडिंग-अनबाइंडिंग आदि खर्चो को सम्मिलित समझा जाएगा।

5- वर्तमान में चारों संस्थाओं (यू0पी0ई0एल0सी0/यू0पी0 डेस्को/श्रीटान इं0लि0/ एन0आई0सी0एस0आई) द्वारा जनपद में अलग-अलग अनुमोदित दरें प्रस्तुत की गयी हैं। कार्य को पूर्ण कराने के लिए इन संस्थाओं द्वारा अपने नियमों के अनुरूप टेण्डर कराया जाएगा, जिसमें जिस संस्था की भी न्यूनतम दरें प्राप्त होंगी, अन्य संस्थाओं को भी उसी न्यूनतम दर के आधार पर अपने वेण्डरों से कार्य कराया जाना होगा। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने वेण्डर से उस न्यूनतम दर पर कार्य कराने की अक्षमता प्रकट की जाती है, तो संबंधित कार्यदायी संस्था से वह धनराशि न्यूनतम दर वाली कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न जनपदों से कार्यादेश प्राप्त होने के अनुक्रम में निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में तथा निविदा के आधार पर वेण्डर को कार्यादेश दिये जाने से पूर्व महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी, जिससे कि सभी जनपदों में समरूप न्यूनतम दर पर कार्य कराया जाना संभव हो सके।

6- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(**अनिल कुमार**)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>पृसं0 1/2017/580(1)/94-स्टा0नि0-1-2017, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया पूर्व में कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में एवं उपरोक्त शर्तो के अधीन संस्था का चयन करने के संबंध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(3) समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन विभाग, उत्तर पदेश।

आज्ञा से,

(**प्रांजल यादव**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।